-: जिला स्तरीय वन अधिकार समिति का सहमति पत्र :-

प्रमाणित किया जाता है :-

1- आवेदक विभाग "महाप्रबंधक, ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक 01 बालाघाट" द्वारा "गोदरी हर्रानाला व्हाया दुगलई सड़क निर्माण कार्य' हेतु आरक्षित / संरक्षित वन क्षेत्र दक्षिण उकवा (सा.) वन कक्ष क्रमांक 1877, 1879, 1904, 1906, 1905, 1901, 1907 में रकबा 6.468 हेक्टे. एवं वनपरिक्षेत्र हटटा (सा.) वन क्रमांक 200 में रकबा 1.092 हेक्टेयर इस प्रकार कुल वन क्षेत्र में रकबा 7.56 हेक्टेयर वन भूमि हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वनभूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र मांग की गई है।

2- ग्राम पंचायत बिठली (उ) जनपद पंचायत बैहर के द्वारा उक्त कार्य हेतु सहमति व्यक्त की गई है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परांपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओ /प्रतिक्रियाओ का पालन पूर्ण कर लिया गया है एवं हक प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु कोई भी व्यक्तिगत/सामुदायिक दावे लंबित नही है एवं उक्त क्षेत्र में किसी भी दावेदार को वन अधिकार हक प्रमाण पत्र पात्र/अपात्र नही किया गया है। ग्रामसभा की बैठक में 50% से अधिक सदस्य उपस्थित हुए।

3- उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति लांजी के द्वारा "गोदरी हर्रानाला व्हाया दुगलई सड़क निर्माण कार्य" हेतु वन भूमि के व्यपवर्तन के लिए सहमति/अनुशंसा की गई है।

4- वन भूमि के व्यपवर्तन के फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले प्रयोजन के निर्माण से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है।

अतः उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति के सहमति के आधार पर जिला स्तरीय वन अधिकार समिति उक्त कार्य हेतु अपना अभिमत/सहमति प्रदान करती है।

(सचिव) (सदस्य) सहायक आयुक्त, वन मंडलाधिकारी जनजातीय कार्य विभाग बालाघाट दक्षिण / उत्तर (सामान्य) वन जिला स्तरीय वन अधिकार मंडल बालाघाट समिति जिला स्तरीय वन अधिकार

(अध्यक्ष) कलेक्टर जिला बालाघाट जिला स्तरीय वन अधिकार समिति

समिति

FORM-I

Annexure-I

(For Linear Projects)

Government Of Madhya Pradesh

Office of the District Collector, Balaghat

No22.76

Dated 15/6/23

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MoEF), Government of Indias letter No.11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right Act, 2006 FRA,for short) on the forest land proposed to be diverled for non-forest purposes read with MoEF'sletter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain reiaxation in respect of lioner projects, it is certified that **7.56 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **General Manager, Rural Roads Development Authority Project Implementation Unit No. 01 Balaghat**, (name of user agency) for **Godari Harranala Via Duglai Road Construction Work** (purpose for diversion of forest land) in **Balaghat** district falls within jurisdiction of Baihar South / North Forest Division, Forest Range- Baihar Forest Block Baihar Tah./Block Baihar, Village- Bithli (U) in Compartment No. 1877, 1879, 1904, 1906, 1905, 1901, 1907 & 200 Total Area 7.56 Hec. in Forest land village(s) in Baihar tehsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 7.56 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the forest rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 01 to annexure 02.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been complaeted and the Gram Sabhas have given their consent. to it;
- (c) (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal Groups and pre agricultural communities.

Encl: As above:

(Dr. Girish Kumar Misura)

(full name and official of the District Collector)